

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गाँधी नरेगा)



क्रमांक: एफ 1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013

जयपुर, दिनांक: 28.03.2013


जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर, समस्त।

विषय :- वर्ष 2013-14 के दौरान 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2013-14 हेतु की गई घोषणा संख्या 124 की क्रियान्विती के क्रम में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 150 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के उपरान्त, 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य सरकार द्वारा राज्य मद से उपलब्ध कराया जावेगा। अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने बाबत प्रक्रियाएँ महात्मा गांधी नरेगा योजना के समान रहेंगी।


उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 331300287 दि. 25.03.2013 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सी.एस. राजन)

अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महो.
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि
3. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महो.
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि
6. संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य मद से 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने बाबत नरेगा सॉफ्ट में आवश्यक प्रावधान तत्काल कराने का श्रम करावें।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
8. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस/पंचायती राज/ग्रामीण विकास/आपदा प्रबन्धन विभाग।
9. मुख्यालय के समस्त परि.निदेशक एवं उप सचिव/प्रभारी अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी, ईजीएस।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त।
11. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जयपुर/जोधपुर।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त
13. एमआईएस मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई-मेल करने एवं वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाईल।


परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस